

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 201/2025

रमेशचन्द्र बनाम कमला

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती खेमराज S/O स्व. श्री खेमराज</p> <p>पिता श्री खेमराज ब्राह्मण</p> <p>निवासी- नरपतड़ी खेड़ी, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम नरपतड़ी खेड़ी</p> <p>प.ड. इरमोर, चित्तौड़गढ़ स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 100 / 0.38 ,</p> <p>102 / 0.09 , 103 / 0.98</p> <p>कुल कीता 03 कुल रकबा 1.45 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम नरपतड़ी खेड़ी (इरमोर) चित्तौड़गढ़ स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 100 / 0.38 , 102 / 0.09 , 103 / 0.98</p> <p>कुल कीता 03 रकबा 1.45 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रूपये अक्षरे एक हजार 515 प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>

(बीनू देवता)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)